संवाद

जुलाई आते ही नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ बच्चे विद्यालय में कदम रखते हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद उनके पास अपने संगी-साथियों के साथ बाँटने के लिए बहुत सारे अनुभव और बातें होती हैं। ग्रीष्मावकाश के दौरान कई बच्चे किसी कोर्स में प्रवेश लेकर कुछ नया सीखते हैं, तो कई बच्चे अपने नाते-रिश्तेदारों से मिलने गाँव-शहर जाते हैं। कुछ बच्चे अपने माता-पिता के साथ किसी पर्वतीय स्थल की सैर पर चले जाते हैं तो कुछ बच्चे किताबों की दुनिया में रम जाते हैं। बच्चे चाहे जो भी करें, इस दौरान कुछ-न-कुछ सीखते ज़रूर हैं। और इन्हीं सीखने के अनुभवों को उन्हें विद्यालय में कुछ नया सिखाने का आधार बनाया जा सकता है।

शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह कानून बच्चों को खेल-खेल में रोचक विधियों से सिखाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो करता ही है, बच्चों के लिए भय और तनाव से मुक्त शिक्षा की माँग भी करता है। इसलिए शिक्षक साथियों से यही अपेक्षा है कि उमंग और उत्साह के साथ विद्यालय में कदम रखने वाले इन नन्हे बच्चों के सीखने के मार्गदर्शक तथा स्नेहिल साथी बनें। उनसे आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें इस तरह सिखाएँ कि उनकी अंतर्निहित क्षमताएँ उभर कर सामने आएँ, उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनमें पहले से ही निहित सीखने की ललक और भी प्रबल हो। यह तभी संभव है जब उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना से मुक्त रखा जाए। उनमें यह विश्वास जगा दिया जाए कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ/करती हूँ। शिक्षक का व्यवहार तथा आचरण बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। वही बच्चों का आदर्श होता है। बच्चों में मूल्यों के विकास लिए उपदेशात्मक शैली में कही गई बड़ी-बड़ी बातें नहीं बल्कि शिक्षक का स्वयं का आचरण बड़ी भूमिका निभा सकता है।

जुलाई-अक्तूबर 2010 के अंक में शिक्षा का अधिकार कानून के संबंध में जानकारी दी गई थी। प्रस्तुत अंक में विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार कानून दिया जा रहा है ताकि हमारे सभी शिक्षक साथी इस कानून से अवगत होकर तदनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

अकादमिक संपादक